>

Title : Need to extend the benefits of agricultural debt waiver scheme to farmers of Himachal Pradesh.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार द्वारा घोषित की गई किसानों की ऋण माफी योजना का लाभ देश के छोटे और विशेष कर हिमालयी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं पूर्वोत्तर राज्यों के कृÂषक एवं बागवानों को नहीं मिला है। पर्वतीय राज्यों के सहकारिता क्षेत्र के बैंकों, विशेÂाकर भूमि विकास बैंकों ने किसानों को कृषि उत्पादों के भंडारण, विपणन, छिड़काव की पॉवर मशीनों, पॉवर टिलरों तथा पूल चेन वितरण व्यवस्था के अंतर्गत कच्ची और संकरी सड़कों पर ट्रक नहीं चलने के कारण यूटीलिटी जीपों और अन्य छोटे वाहनों को खरीदने के लिए जो ऋण दिया, ताकि वे अपनी उपज को दूरदराज के क्षेत्रों से मंडियों तक पहुंचा सकें। उन्हें उक्त माफी योजना से कोई राहत नहीं मिली है। उक्त मदों के अंतर्गत लिए गए ऋण पर उन किसानों से 16 प्रतिशत से अधिक ब्याज वसूला जा रहा है। अतः मेरा आग्रह है कि ऐसे सभी किसानों के ऋण भी तत्काल प्रभाव से माफ किया जाना चाहिए।